दिनाँक 20.03.2022 को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्तः–

जल जीवन मिशन 'हर घर जल' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किये जाने हेतु कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु पत्रांक 173/डब्लू–30/219 दिनांक 15.03.2023 द्वारा दिनांक 20.03..2022 को पूर्वाहन 12.00 बजे मुख्य विकास अधिकारी, महोदया की अध्यक्षता मे आहूत बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया हैः–

1. श्रीमती रिया केजरीवाल, आई0ए0एस0, मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ।
2. श्री अजीत कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
3. श्री दिनेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. श्री अमित कुमार, सहायक अभियन्ता, शारदा खण्ड–2, सिचाई विभाग, लखनऊ।
5. श्री डी0एस0 नेगी, रेन्ज अधिकारी, वन विभाग, लखनऊ।
6. श्री हरपाल सिंह, जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, लखनऊ।
7. श्री सुजीत कुमार सिंह, टीम लीडर, मे0 सेन्सिस टेक लि0, लखनऊ।
8. श्री एम0 सतीश कुमार, वरिष्ठ महा प्रबन्धक, मे0एन0सी0सी0लि0, हैदराबाद।
9. श्री संतोष पाण्डेय, नव दुर्गा सेवा संस्थान, लखनऊ।
10. श्री राजेश उपाध्याय, एन0आई0डी0एस0 सत्या, जयपुर।
11. श्री दिलीप कुमार गौतम, पी0एस0 सेवा समिति, लखनऊ।
12. श्री राहुल द्विवेदी, हिन्दू मुस्लिम एकता कल्याण समिति, लखनऊ।
13. श्री अनुज सिंह, एस0पी0 ग्राम्य विकास, लखनऊ।

बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार हैं–

- बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना से असंतृप्त 669 नग राजस्व ग्रामों हेतु कुल 376 नग प्राक्कलन तैयार कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं। उक्त के सापेक्ष कुल 370 नग की स्वीकृति शासन स्तर से प्राप्त हो चुकी हैं तथा 370 नग प्राक्कलनो हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध के गठन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी हैं। जिसके सापेक्ष राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा 366 नग प्राक्कलनों हेतु कवर अनुबन्ध किया जा चुका हैं।
- जनपद में वर्तमान में 04 नग पेयजल योजनाओं में शिरोपरि जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति तथा 49 नग पेयजल योजनाओं में ट्यूबवेल के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी हैं। मुख्य विकास अधिकारी, महोदया द्वारा उक्त पेयजल योजनाओं के एफ0एच0टी0सी0 का सत्यापन हेतु खण्ड विकास अधिकारी स्तर से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
- मुख्य विकास अधिकारी, महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि 01 घर में 01 पेयजल संयोजन दिया जाये। उक्त के सम्बन्ध में महा प्रबन्धक मे0 एन0सी0सी0 लि0, हैदराबाद द्वारा अवगत कराया गया कि प्रबन्ध निदेशक, जल निगम (ग्रामीण) की अध्यक्षता में आहूत समीक्षा बैठक में उक्त विषय पर चर्चा के पश्चात् आवश्यकतानुसार 01 घर में 02 परिवार होने पर 02 पेयजल संयोजन दिये जा रहे है। उक्त पर मुख्य विकास अधिकारी, महोदया लखनऊ द्वारा अधिशासी

अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को मुख्यालय स्तर से उक्त सम्बन्ध में मार्ग दर्शन लेने के पश्चात् कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

- समीक्षा के दौरान पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु काटी जा रही सडको को मरम्मत किये जाने की प्रगति बहुत ही कम पायी गयी तथा सडक मरम्मत की गुणवत्ता हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रतिदिन शिकायते प्राप्त हो रही है। उक्त के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, महोदया द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि मरम्मत की जा रही सडको की जांच लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओ द्वारा कराये जाने के निर्देश दिये गये।
- बैठक में स्थलीय विवादो की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, महोदया द्वारा जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0 को निर्देश दिये गये कि तहसील स्तर पर प्रतिदिन 02–02 टीम(मे0 एन0सी0सी0लि0, डी0पी0एम0यू0, जल निगम/तहसील स्टाफ) का गठन कराते हुए दिनांक 31 मार्च 2023 तक समस्त स्थलीय विवादों का निस्तारण कराना तथा सहायक अभियन्ता, सिचाई विभाग को निर्देश दिये गये कि सिचाई विभाग से सम्बन्धित एन0ओ0सी0 की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- बैठक में वन विभाग सम्बन्धित अनापत्ति प्राप्त करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) एवं महा प्रबन्धक, मे0 एन0सी0सी0लि0, हैदराबाद को संयुक्त रूप से प्रभागीय वन अधिकारी, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
- आई0एस0ए0 के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(दिनेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0– 233 / W-30 / 52 दिनांकः02 / 04 /2023

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ –

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
3. जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।

निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

4. खण्डान्तर्गत समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
5. मे0 एन0सी0सी0लि0, हैदराबाद।
6. डी0पी0एम0यू0, लखनऊ।
7. समस्त आई0एस0ए0, लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता